ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.VPSEC/R/P/24/00041

Applicant Name	Mukesh Kumar
Text of Application	R.T.I. application received as per the provisions of the R.T.I. Act, 2005
Reply of Application	disposed of as per the provisions of the RTI act, 2005

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	19/07/2024	Sunita Xess - (SCPIO)	
2	REQUEST DISPOSED OF	19/07/2024	Rajesh Kumar Sharma- (CPIO)	

Print

SPEED POST

VPSEC/R/P/24/00041

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI – 110001 (INDIA
TEL.: 011-23094953

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/15/2024-2025 **18 जुलाई, 2024**

सेवा में,

श्री मुकेश कुमार
म. न. SRS/B11/4819
गली नंबर 1, हरि विष्णु कॉलोनी,
कंगनपुर रोड, जिला-सिरसा,
हरियाणा-125055

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 03.07.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 08.07.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 63एफ़ 597360 संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

VPSEC-SS/RTI-15/
2024-2025

प्रपत्र – 'एक'

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1.	आवेदक का नाम	मुकेश कुमार
2.	पूरा पता	म. नं. SRS/B11/4819, गली नंबर 1, हरि विष्णु कॉलोनी, कंगनपुर रोड़, जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)
3.	मोबाइल नंबर	8708420679
4.	ई–मेल	mkghry@gmail.com mkghry@rediffmail.com,
5.	आवेदन देने की दिनांक	03 जुलाई 2024
6.	कार्यालय का नाम	Central Public Information Officer (CPIO) Vice-President's of INDIA Office Shri Rajesh Kumar Sharma, Deputy Secretary Vice-President's Secretariat 108, Chruch Road, New Delhi
7.	फीस के रूप में भारतीय पोस्टल आर्डर नं.	63F 597260

DSR/995
08.07.2024

08/07/2024

SP

प्रपत्र 'क'

(नियम 6(1) देखें)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन फॉर्म

पत्र नं.: RTI No.013/148/37 दिनांक: 03 July 2024

सेवा में,

Central Public Information Officer (CPIO)
Vice-President's of INDIA Office
Shri Rajesh Kumar Sharma, Deputy Secretary
Vice-President's Secretariat
108, Chruch Road, New Delhi

विषयः **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे।**

महोदय जी,

सविनय निवेदन हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं।

आपसे प्रार्थना हैं कि भारत सरकार द्वारा आमजन के अधिकार एवं इंसाफ के लिए बनाये गये सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत हिन्दी भाषा में तथ्यात्मक सूचना सत्यापित कर हमारे डाक पत्ते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या ई–मेल द्वारा उपलब्ध करवाई जाये। एवं इस सूचना से संबंधित अगर अलग से जितने भी पृष्ठ बनते हैं तो कृप्या इन पृष्ठों की राशि बताई जाये जिसका आपको पोस्टल आर्डर भिजवा दिया जायेगा।

घन्यवाद सहित

Mukesh

आवेदक
मुकेश कुमार
म. नं. SRS/B11/4819,
गली नंबर 1, हरि विष्णु कॉलोनी, कंगनपुर रोड़,
जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)
मो. नंबर– 9416724230, 8708420679
ई–मेलः mkghry@gmail.com
mkghry@rediffmail.com

प्रपत्र 'क'
(नियम 6(1) देखें)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन फॉर्म

1. श्रीमान जी, हम भारत देश में सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली एवं मुम्बई कार्यालय स्थित कार्यरत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली एवं मुम्बई कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

2. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् डिपॉजिटरी SAM Global Securities Ltd एवं SMC Global Securities Ltd, Delhi कार्यालय स्थित कार्यरत जन सूचना अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष संबंधित डिपॉजिटरी के कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

3. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् डिपॉजिटरी Mansukh Stock Brokers Ltd., delhi कार्यालय स्थित कार्यरत जन सूचना अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष संबंधित डिपॉजिटरी के कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

4. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् डिपॉजिटरी Asit C.Mehta Investment Intermediates Ltd, Mumbai कार्यालय स्थित कार्यरत जन सूचना अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष संबंधित डिपॉजिटरी के कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

5. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् डिपॉजिटरी Central Depository Services (I) Ltd. (CDSL), Mumbai कार्यालय स्थित कार्यरत जन सूचना अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष संबंधित डिपॉजिटरी के कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

6. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् Central Information Commission, Delhi कार्यालय स्थित कार्यरत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष केन्द्रीय सूचना आयुक्त, दिल्ली कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली को आवेदन भेजने पर अगर एसीपीआईओ द्वारा आवेदन को डाक विभाग के अधिकारी से लेने से मना करके आवेदक के आवेदन को वापस भेज दिया जाता हैं तो क्या इसी आवेदन को द्वौबारा सीपीआईओ, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं या नहीं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली द्वारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उसी डाक द्वारा वापस भेज देने पर एवं उसी आवेदन को जब सीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई भेजने पर भी सीपीआईओ द्वारा भी आवेदक के आवेदन पर भ्रमित करने संबंधी सूचना उपलब्ध करवाने पर, दिल्ली एवं मुम्बई में सेम एक ही कार्यालय में दोनो केन्द्रीय सूचना अधिकारियों के समक्ष भेजे गये एक ही आवेदन संबंधी सूचना की एक ही अपील/प्रथम अपील के रूप में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली द्वारा आवेदक के आवेदन को

अस्वीकार करते हुए उसी डाक द्वारा वापस भेज देने पर एवं उसी आवेदन को जब सीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई भेजने पर भी सीपीआईओ द्वारा भी आवेदक के आवेदन पर भ्रमित करने संबंधी सूचना उपलब्ध करवाने पर,

दिल्ली एवं मुम्बई में सेम एक ही कार्यालय में दोनो केन्द्रीय सूचना अधिकारियों के समक्ष भेजे गये एक ही आवेदन संबंधी सूचना की एक ही अपील/प्रथम अपील के रूप में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करना उचित हैं या फिर राज्य सूचना आयोग, चण्डीगढ़ के कार्यालय में भी प्रथम अपील लगाई जा सकती हैं।

कृप्या सूचना सत्यापित कर उपलब्ध करवाई जाये।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली द्वारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उसी डाक द्वारा वापस भेज देने पर एवं उसी आवेदन को जब सीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई भेजने पर भी सीपीआईओ द्वारा भी आवेदक के आवेदन पर भ्रमित करने संबंधी सूचना उपलब्ध करवाने पर,

एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली एवं
सीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई
इन दोनों की अगर केन्द्रीय सूचना आयुक्त नई दिल्ली कार्यालय में एक ही अपील/प्रथम अपील को एक साथ लगाई जाती हैं तो

हम यहां सूचना चाहते हैं कि केन्द्रीय सूचना आयुक्त नई दिल्ली कार्यालय में लगाई गई ये प्रथम अपील संबंधी आवेदन एक ही माना जाएगा या फिर हमें एसीपीआईओ दिल्ली एवं सीपीआईओ मुम्बई की प्रथम अपील को अलग अलग आवेदन के रूप में अलग अलग फाईल तैयार करके केन्द्रीय सूचना आयुक्त नई दिल्ली कार्यालय में लगाना चाहिए।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से निवेदन हैं कि कृप्या सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत हमारे इस आवेदन से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं को सत्यापित कर हिन्दी भाषा में इनके क्रमांक अनुसार रजिस्टर्ड डाक द्वारा हमारे डाक पत्ते पर या हमारे ईमेल आईडी पर उपलब्ध करवाई जाये।

धन्यवाद सहित

दिनांक: 03 जुलाई 2024

Mukesh

आवेदक

मुकेश कुमार
म. नं. SRS/B11/4819,
गली नंबर 1, हरि विष्णु कॉलोनी, कंगनपुर रोड़,
जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)
ई–मेलः mkghry@rediff.com

संलग्न :
भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 63F 597260

श्रीमान, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली एवं मुम्बई कार्यालय वाले एवं देश में अन्य डिपॉजिटरी कार्यालय वाले ये सब आपस में मिले हुए हैं। देश में इन सबका काम देश के आम नागरिकों को इंसाफ दिलाने की बजाये उन्हें पागल बनाना हैं। और केन्द्रीय सूचना आयुक्त कार्यालय वाले भी इन सरकारी कार्यालयों का साथ देते हैं और अपने कार्यालय में आने वाली अपील को कोई ना कोई बहाना बनाकर आवेदक का साथ देने के बजाए इन अपील को आवेदक को ही वापस भेज देते हैं।

हमने सबसे पहले सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत दो बार आवेदन किया था, दोनों बार ही सीपीआईओ ने हमारे आवेदन को वापस कर दिया।

इसके बाद हमनें सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई कार्यालय में आवेदन करके हमनें देश में कार्यरत् अलग अलग डिपॉजिटरी के कार्यालय संबंधी सूचना मांगी, तो सीपीआईओ ने हमारे आवेदन से संबंधित सूचना ना भेजकर बल्कि इन सभी डिपॉजिटरी के कार्यालय को सूचित कर दिया कि हमने इन सब के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया हैं।

इसके बाद हमने सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई कार्यालय में एक ओर आवेदन करके सेबी द्वारा शेयर ट्रांसफर करने के नियमों संबंधी सूचना मांगी थी, लेकिन सीपीआईओ ने हमारे इस आवेदन संबंधी मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई।

हमने दिल्ली स्थित केन्द्रीय सूचना आयुक्त कार्यालय में सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली एवं मुम्बई कार्यालय से संबंधित दो बार प्रथम अपील लगाई थी लेकिन दोनों बार ही इन्होंने हमारी प्रथम अपील को द्वितीय अपील बताया और कहा कि आपने द्वितीय अपील में एक सूचना अधिकारी की अपील ना लगाकर बल्कि एक साथ कई सूचना अधिकारियों के प्रति अपील लगाई हैं, इसलिए आपको आपकी द्वितीय अपील को वापस भेजा जा रहा हैं, कहकर इन्होंने हमारी प्रथम अपील को अस्वीकार कर दिया।

श्रीमान जी, भारत सरकार द्वारा आमजन के अधिकार एवं इंसाफ के प्रति बनाए गये सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत जिस कार्यालय में जन सूचना अधिकारी/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाता हैं, सेम (SAME) उसी कार्यालय में ही उन्हीं अधिकारियों से संबंधित प्रथम अपील नहीं लगा सकते, क्योंकि इन कार्यालय में सभी अधिकारी एक–दूसरे से मिले हुए होते हैं, और अगर इनमें से किसी भी कार्यालय में ज्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो फिर देश में किसी भी आवेदक द्वारा इन संबंधित कार्यालय में जन सूचना अधिकारी/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के प्रति पथम अपील या द्वितीय अपील लगाकर अपना 2–3–4 महिने का समय बर्बाद ही करता हैं।

और साथ ही अगर केन्द्रीय सूचना आयुक्त, दिल्ली कार्यालय में भी कार्यरत् प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी भी आवेदक के आवेदन पर सुनवाई करने के बजाये अगर देश में भ्रष्ट एवं भ्रष्टाचार फैलाने वाले जन सूचना अधिकारियों के कार्यालय में इनके स्टॉफ का साथ देंगे तो देश में आमजन के अधिकारों की रक्षा कर पाना मुश्किल हैं एवं देश की जनता का भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उप राष्ट्रपति एवं देश के केन्द्र सरकार के दफ्तरों में बैठे केन्द्र सरकार के मन्त्रियों पर से विश्वास उठ जाएगा।

अंत हमारा आपसे निवेदन हैं कि देश में इन सब केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों पर भारत सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाही करने की जरूरत हैं एवं साथ ही आवेदक द्वारा लगाई जाने वाली प्रथम एवं द्वितीय अपील के लिए भी सूचना मांगने वाले संबंधित कार्यालय में प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी को ना बैठाकर इन सबके लिए अलग कार्यालय होना चाहिए। साथ ही एक कार्यालय से आवेदक को सन्तुष्टि ना मिल पाने पर आवेदक को भारत सरकार के अन्य कार्यालय में भी प्रथम एवं द्वितीय अपील लगाने की अनुमति होनी चाहिए ताकि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में देश के नागरिक भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

Reminder

प्रपत्र – 'एक'

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

1.	आवेदक का नाम	मुकेश कुमार
2.	पूरा पता	म. नं. SRS/B11/4819, गली नंबर 1, हरि विष्णु कॉलोनी, कंगनपुर रोड़, जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)
3.	मोबाइल नंबर	8708420679
4.	ई–मेल	mkghry@gmail.com mkghry@rediffmail.com,
5.	आवेदन देने की दिनांक	05 जुलाई 2024
6.	कार्यालय का नाम	Central Public Information Officer (CPIO) Vice-President's of INDIA Office Shri Rajesh Kumar Sharma, Deputy Secretary Vice-President's Secretariat 108, Chruch Road, New Delhi
7.	फीस के रूप में भारतीय पोस्टल आर्डर नं.	63F 597260

DSR/1100
11.07.2024

VPSEC-SS/R.T.I-20/2024-25

11/07/2024
SO(G)

Mr. Prateek

प्रपत्र 'क'

(नियम 6(1) देखें)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन फॉर्म

पत्र नं.: RTI No.013/158/38 दिनांक: 05 July 2024

सेवा में,

Central Public Information Officer (CPIO)
Vice-President's of INDIA Office
Shri Rajesh Kumar Sharma, Deputy Secretary
Vice-President's Secretariat
108, Chruch Road, New Delhi

विषयः **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे।**

महोदय जी,

सविनय निवेदन हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत दिनांक 03 जुलाई 2024 को पत्र नंबर RTI No.013/148/37 के तहत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय के समक्ष सूचना प्राप्ति हेतू आवेदन किया था।

हमारे इस आवेदन के तहत हमारे द्धारा मांगी गई सभी सूचना उप राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार के कार्यालय से संबंधित हैं।

दिनांक 03 जुलाई 2024 को किये गये आवेदन में हमारे द्धारा बिंदु क्रमांक नंबर 1 से बिंदु क्रमांक नंबर 6 तक सूचनाओं में उप राष्ट्रपति कार्यालय के समक्ष लिखना था, लेकिन हमारे द्धारा गलती से प्रधाननमंत्री कार्यालय के समक्ष लिख दिया गया था, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।

आपसे निवेदन हैं कि दिनांक 03 जुलाई 2024 के हमारे आवेदन में हुई गलती को आप नजरअंदाज करते हुए हमारे इस नये आवेदन को आप स्वीकार करें एवं भारत सरकार द्धारा आमजन के अधिकार एवं इंसाफ के लिए बनाये गये सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत हिन्दी भाषा में तथ्यात्मक सूचना सत्यापित कर हमारे डाक पत्ते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा या ई–मेल द्वारा उपलब्ध करवाई जाये। एवं इस सूचना से संबंधित अगर अलग से जितने भी पृष्ठ बनते हैं तो कृप्या इन पृष्ठों की राशि बताई जाये जिसका आपको पोस्टल आर्डर भिजवा दिया जायेगा।

घन्यवाद सहित

Mukesh

आवेदक

मुकेश कुमार
म. नं. SRS/B11/4819,
गली नंबर 1, हरि विष्णु कॉलोनी, कंगनपुर रोड़,
जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)
मो. नंबर– 9416724230, 8708420679
ई–मेलः mkghry@gmail.com
mkghry@rediffmail.com

प्रपत्र 'क'

(नियम 6(1) देखें)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन फॉर्म

1. श्रीमान जी, हम भारत देश में सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली एवं मुम्बई कार्यालय स्थित कार्यरत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली एवं मुम्बई कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

2. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् डिपॉजिटरी SAM Global Securities Ltd एवं SMC Global Securities Ltd, Delhi कार्यालय स्थित कार्यरत जन सूचना अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष संबंधित डिपॉजिटरी के कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

3. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् डिपॉजिटरी Mansukh Stock Brokers Ltd., delhi कार्यालय स्थित कार्यरत जन सूचना अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष संबंधित डिपॉजिटरी के कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

4. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् डिपॉजिटरी Asit C.Mehta Investment Intermediates Ltd, Mumbai कार्यालय स्थित कार्यरत जन सूचना अधिकारी/ केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष संबंधित डिपॉजिटरी के कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

5. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् डिपॉजिटरी Central Depository Services (I) Ltd. (CDSL), Mumbai कार्यालय स्थित कार्यरत जन सूचना अधिकारी/ केन्द्रीय जन

सूचना अधिकारी, के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष प्रथम अपील एवं/या द्वितीय अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष संबंधित डिपॉजिटरी के कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

6. श्रीमान जी, हम भारत देश में भारत सरकार के अन्डर कार्यरत् Central Information Commission, Delhi कार्यालय स्थित कार्यरत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी के प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष अपील लगाना चाहते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि क्या हमें उप राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, के समक्ष केन्द्रीय सूचना आयुक्त, दिल्ली कार्यालय से संबंधित अपील लगाने का अधिकार हैं या इजाजत मिल सकती हैं।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली को आवेदन भेजने पर अगर एसीपीआईओ द्धारा आवेदन को डाक विभाग के अधिकारी से लेने से मनां करके आवेदक के आवेदन को वापस भेज दिया जाता हैं तो क्या इसी आवेदन को द्धौबारा सीपीआईओ, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं या नहीं।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली द्धारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उसी डाक द्धारा वापस भेज देने पर एवं उसी आवेदन को जब सीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई भेजने पर भी सीपीआईओ द्धारा भी आवेदक के आवेदन पर भ्रमित करने संबंधी सूचना उपलब्ध करवाने पर, दिल्ली एवं मुम्बई में सेम एक ही कार्यालय में दोनो केन्द्रीय सूचना अधिकारियों के समक्ष भेजे गये एक ही आवेदन संबंधी सूचना की एक ही अपील/प्रथम अपील के रूप में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली द्धारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उसी डाक द्धारा वापस भेज देने पर एवं उसी आवेदन को जब सीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई भेजने पर भी सीपीआईओ द्धारा भी आवेदक के आवेदन पर भ्रमित करने संबंधी सूचना उपलब्ध करवाने पर,

दिल्ली एवं मुम्बई में सेम एक ही कार्यालय में दोनो केन्द्रीय सूचना अधिकारियों के समक्ष भेजे गये एक ही आवेदन संबंधी सूचना की एक ही अपील/प्रथम अपील के रूप में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करना उचित हैं या फिर राज्य सूचना आयोग, चण्डीगढ़ के कार्यालय में भी प्रथम अपील लगाई

जा सकती हैं।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत सूचना चाहते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली द्वारा आवेदक के आवेदन को अस्वीकार करते हुए उसी डाक द्वारा वापस भेज देने पर एवं उसी आवेदन को जब सीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई भेजने पर भी सीपीआईओ द्वारा भी आवेदक के आवेदन पर भ्रमित करने संबंधी सूचना उपलब्ध करवाने पर,

एसीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दिल्ली एवं

सीपीआईओ सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुम्बई

इन दोनों की अगर केन्द्रीय सूचना आयुक्त नई दिल्ली कार्यालय में एक ही अपील/प्रथम अपील को एक साथ लगाई जाती हैं तो

हम यहां सूचना चाहते हैं कि केन्द्रीय सूचना आयुक्त नई दिल्ली कार्यालय में लगाई गई ये प्रथम अपील संबंधी आवेदन एक ही माना जाएगा या फिर हमें एसीपीआईओ दिल्ली एवं सीपीआईओ मुम्बई की प्रथम अपील को अलग अलग आवेदन के रूप में अलग अलग फाईल तैयार करके केन्द्रीय सूचना आयुक्त नई दिल्ली कार्यालय में लगाना चाहिए।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से निवेदन हैं कि कृप्या सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत हमारे इस आवेदन से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं को सत्यापित कर हिन्दी भाषा में इनके क्रमांक अनुसार रजिस्टर्ड डाक द्वारा हमारे डाक पत्ते पर या हमारे ईमेल आईडी पर उपलब्ध करवाई जाये।

घन्यवाद सहित

दिनांकः 05 जुलाई 2024

Mukesh

आवेदक

मुकेश कुमार

म. नं. SRS/B11/4819,

गली नंबर 1, हरि विष्णु कॉलोनी, कंगनपुर रोड़,

जिला सिरसा–125055 (हरियाणा)

ई–मेलः mkghry@rediff.com

संलग्न :

1. दिनांक 03 जुलाई 24 को भेजे गये पोस्टल आर्डर नंबर 63F 597260 की कॉपी

अधपत्रा COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर

₹ 10

POSTAL ORDER

किसे अदा करना
To whom payable CPIO Vice President office

किस डाकघर में
At what Office N. Delhi

क्या इसे क्रास किया है
Whether crossed

भेजने की तारीख
Date sent 3/07/2024

63F 597260

दह टका दश टाका ... दहा रुपये ... दश रूपयकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO CPIO
Vice President of India office को

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
New Delhi
के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
28/6/24

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

MUKESH KUMAR
HARI VISHNU Colony
SIRSA (HARYANA)

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

63F 597260

Mukesh